संख्या-125/1191/84-1-13-सीपी-16/05टीसी

प्रेषक,

हरि कान्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 16 दिसम्बर, 2013

विषय- भारत सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उपभोक्ता फोरमों के सुदृढीकरण हेतु दिये गये कुल अनुदान रू0 17,21,66,000/- के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3086/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./लेखा/2013, दिनॉक 11 नवम्बर, 2013 की प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उपभोक्ता फोरमों के सुदृढीकरण हेतु दिये गये कुल अनुदान रू0 17,21,66,000/- के सापेक्ष रू0 16,55,42,000/- का उपयोग कर लिया गया है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरि कान्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in